प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2019***

विषय: 02 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उपमहानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 के पत्र सं0-28498/प्रोबेशन-6/142/अर्थदण्ड, दिनांक 16.09.2019 एवं पत्र सं0-28265/प्रोबेशन-6/142/अर्थदण्ड, दिनांक 13.09.2019 तथा वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-29463/प्रोबेशन-6/142/अर्थदण्ड, दिनांक 24.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध ऐसे सिद्धदोष बन्दी, जो कि मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा भोग लिये हैं लेकिन अर्थदण्ड न जमा कर पाने के कारण अतिरिक्त सजा भोग रहे हैं, की 82+31+33 कुल-146 सिद्धदोष बन्दियों की सूची उपलब्ध करायी गयी है।

2- 02 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर 82+31+33 कुल-146 सिद्धदोष बन्दियों की उक्त तीनों सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तीनों सूचियों के कालम-10 पर अंकित अवशेष अर्थदण्ड की धनराशि किसी स्वयं सेवी संस्था/समाज सेवी संस्था/क्लब/ट्रस्ट के सहयोग से जमा कराकर यदि किसी अन्य मामले में निरूद्ध रखना वांछित न हो तो उन्हें कारागार से रिहा किये जाने के सम्बन्ध में निरूद्धि की कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार को अपने स्तर से निदेशित करने का कष्ट करें। जुर्माना जमा कराये जाने से पूर्व स्वयं सेवी संस्था/समाज सेवी संस्था/क्लब/ट्रस्ट की वैधानिक पवित्रता की जांच कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु सभी औपचारिकताएं 02 अक्टूबर, 2019 के पूर्व ही पूर्ण कर ली जायं तथा 02 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर रिहाई सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव

संख्या-112/2019/2634(1)/22-2-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, आदर्श कारागार/केन्द्रीय/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।